न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 53/2017

1 परमेश्वर उम्र 11 वर्ष पुत्र कालूराम।
2 ममला उम्र 14 वर्ष पुत्री कालूराम।
3 कंचन उम्र 09 वर्ष पुत्री कालूराम।
4 पूनम उम्र 07 वर्ष पुत्री कालूराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कन्टेवा तहसील लक्षमणगढ़ सीकर समस्त नाबालिग, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती नरबदी देवी धर्मपत्नी कालूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
5 नरबदी देवी धर्मपत्नी कालूराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कालूराम पुत्र भगवानाराम।
2 मूलचन्द पुत्र भगवानाराम।
3 बजरंगलाल पुत्र भगवानाराम।
4 औमप्रकाश पुत्र भगवानाराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कन्टेवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
5 गुलाबी देवी धर्मपत्नी भगवानाराम।
6 लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी मूलचन्द।
7 पटवारी हल्का हमीरपुरा, तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजीयक, लक्षमणगढ़ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
9 तहसीलदार लक्षमणगढ़ सीकर राज.। बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014
पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ़
जिला सीकर उनवानी परमेश्वर बनाम कालूराम
आदि दावा संख्या 207/2011

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—23.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना द्वारा दावा सं. 207/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा भूमि खसरा नम्बर 37/2, 37/1, 25 वाके ग्राम कन्टेवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायायल में प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। वादीगण की ओर से इसका जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रतिवादीगण का आवेदन आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरांत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने प्रकरण को सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानकर, वादकरण नहीं होना मानकर विचाराधीन आदेश से वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। वाद के पैरा संख्या 6 में वादकरण स्पष्ट रूप से अंकित है। वाद का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना उचित होता है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत वाद नाबालिग पुत्रों ने जरिये माता प्रस्तुत किया है जबकि प्रथम संरक्षक पिता होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भाईयों ने परस्पर हक त्याग किया था। वादी अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं है। अतः अपीलांट को वादकरण प्राप्त नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान उसके निर्वसीयति की मृत्यु पर धारा 40 के तहत लागू होते है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरांत न्यायालय को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने प्रकरण को सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मानकर, वादकरण नहीं होना मानकर विचाराधीन आदेश से वाद खारिज किया है। वाद के पैरा संख्या 6 में वादकरण स्पष्ट रूप से अंकित है। वाद का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर